

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-3156)/अलेसे-III/1127

दिनांक:- 21-09-22

कार्यालय आदेश

श्री राजकुमार, कनिष्ठ लेखाकार (दिव्यांग) कार्यालय उपकोषाधिकारी, लाडनूं जिला नागौर (राज.) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 10.08.2022 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 10.08.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-3156)/अलेसे-III/1127

दिनांक:- 21-09-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, लाडनूं जिला नागौर (राज.)
2. श्री राजकुमार, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी, लाडनूं जिला नागौर (राज.)
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)